बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–23/2015 95 /पटना, दिनांकः–04/03/22

कार्यालय आदेश

श्री अरूण कुमार लाल, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, सरमेरा, नालंदा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहटा, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–3063 दिनांक–28.12.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–21 सहपठित ज्ञापांक–214 दिनांक–27.01.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), नालंदा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री अरूण कुमार लाल के विरूद्ध निदेशालय के का०आ०सं०–244 सहपठित ज्ञापांक–1622 दिनांक–01.10.2015 द्वारा सरमेरा थाना कांड संख्या–114/2012 दिनांक–01.11.2012 में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री अरूण कुमार लाल के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. जिला पदाधिकारी, नालंदा के आदेश संख्या–1731 दिनांक 08.12.2011 के आलोक में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 में इन्हें राज्य खाद्य निगम सरमेरा क्रय केन्द्र का प्रभारी नियुक्त किया गया। खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में श्री लाल द्वारा विभिन्न पैक्सों से कुल धान 44809.73 (चौवालीस हजार आठ सौ नौ क्विंटल तिहत्तर किलो) धान क्रय किया गया। कुल क्रय किये धान से 42323.38(बेयालीस हजार तीन सौ तेइस क्विंटल अड़तीस किलो) धान,चावल तैयार करने हेतु मिलरो को भेजा गया। शेष भंडार पंजी के आधार पर 1814.35(एक हजार आठ सौ चौदह क्विंटल पैतीस किलो) धान श्री लाल के भंडार में था। परन्तु इनके भंडर का भौतिक सत्यापन करने पर भंडार में कुछ भी धान नहीं पाया गया। क्षति/गवन किये गये धान का मूल्य मो० 2046550.53 (बीस लाख छियालिस हजार पॉच सौ पच्चास रूपये तिरपन पैसा) रू० होता है।

ii. वर्ष 2012–13 में गेहूँ क्रय केन्द्र के प्रभार में थे। कुल गेहूँ सरमेरा क्रय केन्द्र में श्री अरूण कुमार लाल द्वारा 6710.50 (छः हजार सात सौ दस क्विंटल पच्चास किलो) क्रय किया गया जिसमें 6413.15 भारतीय खाद्य निगम को भेजा गया शेष 297.35000 गेहूँ का गबन किया गया। गवन किये गये गेहूँ का मूल्य 424033.00 होता है। धान एवं गेहूँ दोनों का मूल्य जोड़ने पर कुल राशि 24,70,583.52 (चौबीस लाख सत्तर हजार पॉच सौ तेरासी रूपये बावन पैसा) का गबन किया गया।

iii. मिलरों द्वारा उपलब्ध कराये गये चावल के चलान से मिलान करने पर आपके द्वारा 1814.35 धान गबन करने का मामला प्रकाश में आया।

iv. बिहार सरकारी सेवा आचार संहिता नियमावली, 1976 के नियम 3(i)(ii)(iii) का उल्लंघन है।

2. श्री अरूण कुमार लाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, नालंदा के पत्रांक–52/वि०जॉच दिनांक–13.11.2021 द्वारा श्री लाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यावाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न प्रतिवेदन दिया है :–

आरोप–i :– गठित आरोप, आरोपित के कारणपृच्छा एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में क्रय केन्द्र सरमेरा के प्रभारी थे। उनके द्वारा कुल 44809.73 क्विंटल (चौवालीस हजार आठ सौ नौ क्विंटल तिहत्तर किलो) धान क्रय किया गया था। *क्रय किये गये धान चावल तैयार करने हेतु मिलरों को भेजने के उपरांत भंडार पंजी के अनुसार 1814.35 क्विंटल (एक*

हजार आठ सौ चौदह क्विंटल पैतीस किलो) धान उनके भंडार में शेष था। भौतिक सत्यापन करने पर भंडार में कुछ भी धान शेष नहीं पाया गया है। क्षति/गवन किये गये धान का मूल्य मो० 2046550.53 रूपया (बीस लाख छियालीस हजार पॉच सौ पचास रूपया तिरपन पैसा) होता है, जो उनसे वसूलनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि पैक्स अध्यक्ष के मेलजोल से आरोपित द्वारा 1814.35 क्विंटल धान क्रय किये बिना धान का रसीद श्री परमानन्द सिंह, अध्यक्ष हुसैना पैक्स के नाम काट दिया गया है। इस प्रकार लगाया गया यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–ii :– गठित आरोप, आरोपित के कारणपृच्छा एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित वर्ष 2012–13 में गेहूँ क्रय केन्द्र सरमेरा के प्रभार में थे। उनके द्वारा कुल 6710.50 क्विंटल (छः हजार सात सौ दस क्विंटल पचास किलो) गेहूँ क्रय किया गया, जिसमें 6413.15 क्विंटल गेहूँ भेजा गया है। 297.35 क्विंटल गेहूँ का मूल्य 424033.00 रूपया होता है। धान एवं गेहूँ दानों का मूल्य जोड़ने पर कुल राशि 24,70,583.52 रूपया (चौबीस लाख सत्तर हजार पॉच सौ तेरासी रूपया बावन पैसा) का गबन किया गया है, जो उनसे वसूलनीय है। इस प्रकार लगाया गया यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप–iii :– गठित आरोप, आरोपित के कारणपृच्छा एवं साक्ष्य तथा उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में क्रय केन्द्र सरमेरा के प्रभारी थे। उनके द्वारा कुल 44809.73 क्विंटल (चौवालीस हजार आठ सौ नौ क्विंटल तिहत्तर किलो) धान क्रय किया गया था। क्रय किये गये धान चावल तैयार करने हेतु मिलरों को भेजने के उपरांत भंडार पंजी के अनुसार 1814.35 क्विंटल (एक हजार आठ सौ चौदह क्विंटल पैतीस किलो) धान उनके भंडार में शेष था। भौतिक सत्यापन करने पर भंडार में कुछ भी धान शेष नहीं पाया गया है। मिलरों द्वारा उपलब्ध कराये गये चावल के चलान से मिलान करने पर आरोपित द्वारा 1814.35 क्विंटल धान गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकार लगाया गया यह आरोप प्रमाणित होता है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होता है, के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1607 दिनांक–09.12.2021 द्वारा श्री अरूण कुमार लाल से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री लाल ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

आरोप सं०–(1) :– निदेशानुसार धान क्रय किया जा रहा था। धान क्रय से संबंधित गोदाम भर जाने के कारण गोदाम के बाहर भी धान रखा जाने लगा। समय से धान का उठाव नहीं होने के कारण धान का बोरा धूप में फट जाने के कारण धान बिखर गया। फलस्वरूप जानवरों द्वारा भी धान बर्बाद किया गया। धान सुरक्षित रखने हेतु क्रय किये गये धान पैक्स अध्यक्ष के गोदाम में रखवाया गया, हुसैना पैक्स अध्यक्ष द्वारा कुल 4983.95 क्विंटल धान क्रय किया गया था, जिसमें से 3265.50 क्विंटल धान मिलरों को भेजा। शेष 1718.45 क्वींटल धान अपने गोदाम में रखे रह गये। इस बावत पैक्स अध्यक्ष को क्रय किये गये धान का रसीद निर्गत किया जाता था। परन्तु निम्न मात्रा का धान प्राप्त नहीं कराये के कारण मूल रसीद पैक्स अध्यक्ष को नहीं दिया गया। यह मूल रसीद जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में सुरक्षित है।

(1) 260.80 क्विंटल (2) 352.60 क्विंटल (3) 535.60 क्विंटल (4) 320.00 क्विंटल

कुल–1469.00 क्विंटल

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो रहा है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान नहीं दिये जाने एवं बाहर रखे गये धान ससमय उठाव नहीं होने के कारण बर्बाद हो गया जो भौतिक सत्यापन के क्रम में नहीं पाया गया जिसके लिये जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालंदा द्वारा पत्रांक–3397 दिनांक–30.10.2012 से हुसैना पैक्स अध्यक्ष एवं उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। धान अधिप्राप्ति में उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

आरोप सं०–(2) :– वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार सरमेरा प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम में भंडारित गेहूँ का प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सरमेरा द्वारा इन्भेन्ट्री बनाया गया। इन्भेन्ट्री प्रतिवेदन में उल्लेख है कि गेहूँ में घुन लग जाने के कारण सभी बैग का वजन लगभग 2 के०जी० से 3 के०जी० तक कम हो रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि गेहूँ में घुन लग जाने के कारण 297.35000 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया। उनके द्वारा गेहूँ खरीद में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

श्री अरूण कुमार लाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में कहा गया है कि धान का बोरा धूप में फट जाने एवं जानवरों द्वारा बर्बाद किये जाने तथा गेहूँ में घुन लग जाने के कारण वजन कम हुआ है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते इनकी जवाबदेही बनती थी कि क्रय किये गये धान एवं गेहूँ की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास करते जो इनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे धान एवं गेहूँ की क्षति/गबन हुई और सरकारी राशि का गबन हुआ। अतएव श्री लाल का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः श्री अरूण कुमार लाल के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उन पर संचयी प्रभाव के साथ 03 (तीन) वेतनवृद्धि अवरूद्ध की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री अरूण कुमार लाल, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, सरमेरा, नालंदा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहटा, पटना पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 03 (तीन) वेतनवृद्धि अवरूद्ध की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

ह०/–
(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–23/2015 416 /पटना, दिनांक :–04/03/22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक–3063 दिनांक–28.12.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री अरूण कुमार लाल से क्षति/गबन की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।
4. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री अरूण कुमार लाल, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, सरमेरा, नालंदा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहटा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक